

पत्रांक 10/न 4-29/10 48  
बिहार सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य  
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

अध्यक्ष  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेटर,  
नई दिल्ली-110092

पट्टा, दिनांक 12/01/11

विषय : गोविन्द भविष्य भारती शिक्षा सेवा सदन, लखीसराय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय से प्राप्त जॉन प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रगाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा गोविन्द भविष्य भारती शिक्षा सेवा सदन, लखीसराय को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय गोविन्द भविष्य भारती शिक्षा सेवा सदन, लखीसराय के अधीन संचालित है। इस द्रष्टव्य में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निवंधित सोसाइटी/न्यास के फैन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय जो वर्तमान में अपने नवनिर्मित भवन में संचालित है, जहाँ 2.07 एकड़ भूमि 30 गांव की लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपरकर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में 15 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238.

दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अधिसूचना संख्या-238 से सहमति दी गयी है।  
Sudhiv. Kumar 16.05.2011  
Madagor

Principal  
G. B. B. Siksha Seva Sadan  
Purani Bazar, Lakhisarai  
Din - 05.05.2011 (Bih)

**अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-**

(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का नि:शुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसृति जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वालिकारं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपया प्रतिवर्ष होंगे को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/को० जी० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए नर्सरी/राष्ट्रीयताकार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन का आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/को० जी० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से अन्य वी दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे तो गई आवेदन शुल्क को राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी रु० ८० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो तें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। रकूत को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त के उल्लंघन की विधि ने अनापत्ति प्रगाण-पत्र यापर दे लिया जाए। इसके बदले उल्लंघन करने की वार्षिक रु० ८० दी जाएगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर गोविन्द भविष्य भारती शिक्षा सेवा सदन, लखीसराय को रु० ८० वी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रगाण-पत्र दी जाती है।

**अनुलग्नक :-** जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासगाजन

रु० ८०/-

(ओकार नाथ आर्य)  
सरकार के उप सचिव

G. B. B. Siksha Seva Sadan  
Purani Bazar, Lakhisarai  
Pin - 811311 (Bihar)

५८

दिनांक १२/०१/११

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय को उनके पत्रांक 1009 दिनांक 10.07.2010 के

प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रु० ८०/-  
सरकार के उप सचिव

G. B. B. Sadan  
Sukhnagar १८३८९७  
Mudagej १६.०५.७१६

५८

दिनांक १२/०१/११

प्रतिलिपि : प्राचार्य, गोविन्द भविष्य भारती शिक्षा सेवा सदन, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रु० ८०/-  
सरकार के उप सचिव